2012:सीजीएचसी:9023-डीबी

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश एवं

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक : 900 / 2005

अपीलार्थी संतोष, पिता- खेदूराम साहू,
आयु लगभग 30 वर्ष,
निवासी: बोरतारा, थाना -साजा,
वर्तमान पता: सोनपंदर, चौकी - देवकर,
थाना - साजा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

विरूद्ध

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973)

उपस्थित-

अपीलार्थी के लिए: श्री प्रतीक सिन्हा अधिवक्ता।

राज्य के लिए: श्रीमती मधु निशा सिंह, पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 09.08.2012)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

(1) यह अपील दिनांक 28 अक्टूबर 2005 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा, दुर्ग (छत्तीसगढ़) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 157/2005 में पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दोषसिद्ध किया गया है

तथा उसे आजीवन कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने, तथा 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड के दंड से दंडित किया गया, और प्रत्येक आरोप पर व्यतिक्रम की स्थिति में पृथक से कारावास के दंड का प्रावधान किया गया, साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं :—

मृतका लुंजी बाई, अपीलार्थी की सास थी। लुंजी बाई की दो बेटियाँ थीं। रमतिला बाई (अ.सा.-10) पहली बेटी थी। रमतिला बाई (अ.सा.-10) अपीलार्थी की पत्नी थी। लुंजी बाई, उसकी बेटी रमतिला बाई, अपीलार्थी तथा उनके चार बच्चे साथ-साथ रह रहे थे। दिनांक 5 मई 2005 को प्रातः लगभग 6.00 बजे, मृतका का शव *घुरवा* (गोबर आदि फेंकने के लिए प्रयोग होने वाला गड्ढा) के पास खुले स्थान पर पाया गया। उसके शरीर पर अनेक गंभीर चोटें थीं। घटना की सूचना गम्भीरदास (अ.सा.-1) ने संबंधित पुलिस को दी। अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.सू.रि. प्र.पी/1) दर्ज की गई। विवेचक घटना-स्थल पर पहुँचा, पंचों को नोटिस (प्र.पी/2) दिया और मृतका के शव पर पंचनामा (प्र.पी/3) तैयार किया। पंचनामा तैयार करते समय अपीलार्थी भी वहाँ आ गया। अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया गया और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत उसका मेमोरेण्डम कथन (प्र.पी/5) दर्ज किया गया तथा उसके मेमोरेण्डम के आधार पर कुछ सामग्री, जिनमें सांबर, टंगिया तथा मृतका और अपीलार्थी के कपड़े शामिल थे, जप्त किए गए, जिनके संबंध में जप्ती मेमो प्र. प/6 एवं पी/7 तैयार किए गए। जप्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.), मेमो प्र.पी/23 के माध्यम रायपुर भेजा गया, परंतु एफ.एस.एल. की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी। शव परीक्षण डॉ. सुनील सिंह (अ.सा.-9) द्वारा किया गया, जिन्होंने अनेक गंभीर चोटें, जिनमें फ्रैक्चर भी शामिल थे, पाईं और यह मत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण मृतका को लगी हुई चोटों से उत्पन्न शॉक तथा अत्यधिक रक्तस्राव था और मृत्यु प्रकृति में मानववध थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी/15 है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं था और अभियोजन का प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था।

निम्नलिखित परिस्थितियाँ हैं, जिन पर विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अवलंब लिया और उपरोक्तानुसार अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया :

i. मृतका अपीलार्थी से नाखुश थी, क्योंकि अपीलार्थी कहीं कार्य नहीं करता था और यही मृतका की हत्या करने के लिए अपीलार्थी का ‘हेतुक’ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ii. अपीलार्थी की पत्नी और उसकी दो बेटियाँ दूसरे गाँव चली गई थीं और रात्रि को घर में केवल अपीलार्थी, मृतका तथा अपीलार्थी की अन्य दो बेटियाँ उपस्थित थीं।

iii. रक्त से सनी वस्तुएं, जिनमें अपराध में प्रयुक्त हथियार भी शामिल थे, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा दिए गए मेमोरेण्डम कथन के आधार पर जप्त किए गए।

iv. जब मृतका का शव देखा गया, उस समय अपीलार्थी फरार था।

(3) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री प्रतीक सिन्हा ने तर्क किया है कि उपर्युक्त परिस्थितियाँ अपीलार्थी के विरुद्ध पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुई हैं; वे परिस्थितियाँ न तो निष्कर्षात्मक प्रकृति और प्रवृति की थीं और परिस्थितियां स्पष्टीकरण दिये जाने योग्य थी; तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला भी पूर्ण नहीं थी। मेमोरेण्डम और विभिन्न वस्तुओं की जप्ती के संबंध में उनका विशेष तर्क था कि सभी वस्तुएँ सामान्य प्रकृति की थीं, इसलिए यह प्रमाण न होने की स्थिति में कि वे रक्त से सनी थीं, और उससे भी बढ़कर यह कि वह रक्त मृतका के रक्त समूह से मिलता हुआ मानव रक्त था, ये तथ्य अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोगात्मक नहीं मानी जा सकतीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्रीमती मधु निशा सिंह, पैनल अधिवक्ता, ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(5) हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के पूरे तर्क सुने हैं तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन भी किया है।

(6) अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोगात्मक मानी गई परिस्थितियों का वर्णन निर्णय की कंडिका 13 में किया गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में से केवल 3 परिस्थितियों पर ही इस न्यायालय को विचार किए जाने की आवश्यकता है। ये हैं – अपीलार्थी के कथित प्रकटीकरण-कथन (प्र.पी/5), जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपीलार्थी के कहने पर रक्त से सने सामान की जप्ती; तथा अपीलार्थी के फ़रार होने के आरोप; और अभियोजन द्वारा सुझाया गया हेतुक।

(7) यह स्वीकृत है कि मृतक का मृत शरीर दिनांक 5 मई 2005 को प्रातः लगभग 6.00 बजे देखा गया और मर्ग सूचना प्र.पी/17 लगभग प्रातः 8.40 बजे दर्ज की गई, तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग प्रातः 11.30 बजे दर्ज हुई। इसके बाद विवेचक घटना-स्थल पर पहुँचा और पंचनामा आदि तैयार किए गए। अपीलार्थी को लगभग शाम 4.00 बजे अभिरक्षा में लिया गया और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत उसका मेमोरेण्डम कथन दर्ज किया गया तथा तत्पश्चात उपर्युक्त वस्तुओं की जप्ती की गई। जो वस्तुएं अपीलार्थी की निशानदेही पर जप्त की गई, वे हैं – टंगिया (कुल्हाड़ी), क्रोबार (सब्बल) और अपीलार्थी तथा मृतका के कपड़े। अभियोजन के अनुसार, उक्त सभी वस्तुएँ रक्त जैसी किसी पदार्थ से सनी हुई थीं और इसकी पुष्टि तथा रासायनिक परीक्षण हेतु उन्हें मेमो प्र.पी/23 के माध्यम से न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया। यद्यपि उपरोक्तानुसार वस्तुएँ भेजी गईं, किन्तु अभियोजन एफ.एस.एल. रिपोर्ट पेश नहीं कर सका। यहाँ तक कि बाद के किसी भी चरण में वह रिपोर्ट न्यायालय को प्राप्त ही नहीं हुई। अतः यह प्रमाणित नहीं हो सका कि उपर्युक्त वस्तुएँ, जो कथित रूप से अपीलार्थी की निशानदेही पर जप्त की गई थीं, इन वस्तुओं पर रक्त के धब्बे पाए गए हों, मानव रक्त का होना तो दूर की बात है। इस बिंदु पर विधि स्पष्ट है कि जब तक यह प्रमाणित न हो जाए कि साधारण घरेलू सामान रक्त से, वह भी मानव रक्त से सना हुआ है और वहाँ पाए गए रक्त के धब्बे मृतक के रक्त-समूह से मेल खाते हैं, तब तक केवल उन वस्तुओं की जप्ती, अभियुक्त के विरुद्ध अभियोगात्मक नहीं मानी जा सकती। हमारा मत है कि प्रकरण के उपर्युक्त तथ्य और परिस्थितियों में विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी के कथन के आधार पर तैयार मेमोरेण्डम तथा उसके निशानदेही पर जप्त वस्तुओं पर अवलंब लेकर त्रुटि की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) अभियोजन का सुझाव यह रहा है कि चूँकि अपीलार्थी कार्य नहीं करता था, इसलिए मृतका असंतुष्ट रहती थी और यही अपीलार्थी द्वारा मृतका की हत्या करने का 'हेतुक' था। रमतिला बाई (अ.सा.-10) अपीलार्थी की पत्नी है। उसने यह कथन किया है कि अपीलार्थी मजदूरी का काम किया करता था, किन्तु वह घर में रुपये नहीं देता था और मृतका उसे बच्चों के हित में काम करने के लिए कहा करती थी। अतः रमतिला बाई (अ.सा.-10) के उपर्युक्त कथन से यह स्थापित होता है कि अपीलार्थी मजदूरी का कार्य करता था और यह परिस्थिति कि मृतका अपीलार्थी से इसलिए असंतुष्ट थी कि वह कोई काम नहीं करता था, उचित प्रतीत नहीं होता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में 'हेतुक' का महत्व बढ़ जाता है और अभियोजन के लिए यह अपेक्षित होता है कि 'हेतुक'

की परिस्थिति को किसी अन्य परिस्थिति की तरह प्रमाणित करे और फिर प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में उस हेतुक की पर्याप्तता की जाँच की जाए।

(9) वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि कथित घटना से पहले अपीलार्थी और मृतका के बीच किसी प्रकार का झगड़ा हुआ था। अभियोजन द्वारा केवल इतना सामान्य साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी के काम न करने के कारण मृतका उसके व्यवहार से असंतुष्ट थी, जबकि अपीलार्थी की पत्नी रमतिला बाई (अ.सा.-10) ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी काम करता था। हमारा मत है कि प्रकरण के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, भले ही हम मान लें कि उपर्युक्त हेतुक प्रमाणित हो गया हो, फिर भी किसी हाल ही के झगड़े आदि के अभाव में यह हेतुक अपीलार्थी द्वारा मृतका की हत्या करने के लिए पर्याप्त प्रतीत नहीं होता।

(10) ***थिम्मा विरूद्ध मैसूर राज्य, एआईआर 1971, एससी 1871*** में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यद्यपि अपराध घटित होने के तुरंत बाद अभियुक्त का फ़रार हो जाना प्रासंगिक साक्ष्य है, क्योंकि यह किसी सीमा तक उसके आपराधिक मन:स्थिति की ओर संकेत करता है, परन्तु यह उस तथ्य का निष्कर्षात्मक प्रमाण नहीं है, क्योंकि निर्दोष व्यक्ति यदि उस पर संदेह किया जाए तो वह गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसा कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) ***एसके. युसुफ विरूद्ध पश्चिम बंगाल राज्य, एआईआर 2011 एससी 2283*** में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि "यह स्थापित विधिक सिद्धांत है कि यदि कोई व्यक्ति उस अपराध के घटित होने के बाद फ़रार हो जाता है, जिसका वह कर्ता भी न हो, तो केवल ऐसी एक ही परिस्थिति उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यह निर्दोषता के सिद्धांत के विरुद्ध होगी। यह पूर्णतः सम्भव है कि वह केवल संदेह के कारण, पुलिस द्वारा गिरफ़्तारी और उत्पीड़न के भय से भाग रहा हो। (देखें: मत्रु उर्फ गिरीश चन्द्र विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1971 एससी 1050; परमजीत सिंह उर्फ पम्मा विरूद्ध उत्तराखण्ड राज्य, एआईआर 2011 एससी 200; तथा रवीन्द्र कुमार पाल उर्फ दारा सिंह विरूद्ध भारत गणराज्य, (2011) 2 एसीसी 490)"।

(12) वर्तमान प्रकरण में, गम्भीरदास (अ.सा. -1 ग्राम कोटवार) के साक्ष्य की कंडिका 8 में यह उल्लेखित है कि वह प्रातः लगभग 6.00 बजे घटना-स्थल पर पहुँचा और आधे घण्टे बाद अपीलार्थी भी

वहाँ आ गया। अतः यह ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि घटना के तुरन्त बाद अपीलार्थी फ़रार हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने सम्पूर्ण जाँच-प्रक्रिया में भाग लिया और अन्ततः उसी दिन लगभग शाम 4.00 बजे उसे अभिरक्षा में लिया गया तथा तब उसका प्रकटीकरण कथन दर्ज किया गया। अतः अपीलार्थी के विरुद्ध फ़रार रहने की कथित परिस्थिति प्रमाणित नहीं होती है।

(13) हम यह भी पाते हैं कि मृतका के शव के पास से एक स्टील का गिलास भी पाया गया था। इसका उल्लेख मृत्यु समीक्षा (प्र.पी/3) में है। उक्त गिलास को भी पुलिस द्वारा घटना-स्थल से जप्ती पंचनामा प्र.पी/8 के तहत जप्त किया गया था। यदि वास्तव में मृतका की हत्या उपर्युक्त तरीके से की गई होती और शव को फेंका गया होता, तो मृतका का गिलास भी शव के साथ क्यों फेंका जाता? यह तथ्य अभियोजन के उस कथन पर संदेह उत्पन्न करता है कि वास्तव में मृतका की हत्या घर के भीतर की गई और फिर उसका शव घर के पास खुले स्थान पर फेंका गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) हम यह भी पाते हैं कि अभियोजन ने अपीलार्थी की दो बेटियों का परीक्षण नहीं किया, जबकि यह निर्विवादित है कि वे दोनों ही उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि को घर में उपस्थित थीं।

(15) उपर्युक्त विश्लेषण से हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष उपर्युक्त परिस्थितियों को समस्त युक्तिसंगत संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। ये परिस्थितियाँ न तो निष्कर्षात्मक प्रकृति तथा प्रवृत्ति की थी, तथा वे स्पष्टीकरण-योग्य थीं, और आगे यह भी कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला भी पूर्ण नहीं थी।

(16) उपर्युक्त कारणों से, हम अपीलार्थी की दोषसिद्धि को इन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर बनाए रखने में असमर्थ हैं। अतः अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अंतर्गत अपीलार्थी पर की गई दोषसिद्धि और दिया गया दंडादेश अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह उल्लेखित है कि अपीलार्थी दिनांक 5 मई 2005 से जेल में है। यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

सही/-
आर. एस. शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By – श्रीमती रेशमा कुजूर, अनुवादक